कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-43/2016-17/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, कीर्तिनगर

जिला- टिहरी गढ़वाल

विषय : क्षेत्र पंचायत कीर्तिनगर का वर्ष 2014-15 से 2015-16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **03** प्रस्तर तथा STAN मे **01** प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Tech0nical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 43/2016-17/ **दिनांक: /01/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।
3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005
4- जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014 -15 से 2015-16 के लिये क्षेत्र पंचायत कीर्तिनगर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्रीमती अनीता निजवाला - ब्लाक प्रमुख (क्षेत्र पंचायत)

(ii) श्री राजेन्द्र सिंह असवाल खण्ड़ विकास अधिकारी (प्रभारी)

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(ii) श्री प्यारे लाल शर्मा, स.ले.प.अ.

(iii) श्री सतेन्द्र कुमार स.ले.प.अ.

(iv) श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 11.08.2016 से 22.08.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16

भाग-दो

परिचयात्मक :

1.पंचायतीराज संस्था का नाम: खंड विकास अधिकारी, **क्षेत्र पंचायत कीर्तिनगर**, **टिहरी गढ़वाल**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो:- क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:- -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 84

भौगोलिक क्षेत्र :-- 54635 हेक्टेयर

जनसंख्या : 44860

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 507

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 12

4- उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक द्वारा आयोजित बैठक की संख्या: 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 19

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

(अ) सामान्यः-

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-
हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, कीर्तिनगर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ., श्री प्यारे लाल शर्मा, स.ले.प.अ., श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ. तथा श्री नित्यानन्द सिंह स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 11.08.2016 से 22.08.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर		**भाग 4(ब)-1**	**भाग 4(ब)-2**

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: -

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:-

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत ` 201.50 लाख की धनराशि के कार्यों का अपूर्ण रहना।

कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले लघु निर्माण कार्य 04 से 06 महीने में पूर्ण कर लिए जाने चाहिए, जैसा कि कार्यालय के कार्यादेश में भी दर्शाया गया है जिससे कि आमजन को उसका लाभ/सुविधायें मिल सके और सरकार द्वारा परिलक्षित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

कार्यालय की विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की सूची में पाया गया कि ` 201.50 लाख की धनराशि के कुल 108 कार्य (सलंग्नक के अनुसार) लेखापरीक्षा की तिथि तक अपूर्ण पाये गये जिसमें कार्यालय को ` 142.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी जिसके सापेक्ष कार्यालय के द्वारा ` 68.99 लाख की धनराशि का व्यय दर्शाया गया था।

इंगित किये जाने पर कार्यालय के द्वारा बताया गया कि 15 कार्यों को संशोधित किया गया है तथा शेष 93 कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिये जायेगें तथा लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के कारण उक्त कार्य समय से पूर्ण नहीं कराये जा सके और वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के कार्य अपूर्ण पाये गये जिससे कि आमजन को उसका लाभ/सुविधायें समय से नहीं मिल पायी और सरकार के द्वारा परिलक्षित उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो सकी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2:- वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 2,53,556/- को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक संख्या 347/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिंनाक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवं उस पर ब्याज के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुये ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिये।

क्षेत्र पंचायत कीर्तिनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रुप में ` 2,53,556/- की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त धनराशि लेखापरीक्षा की तिथि तक इकाई के खाते में लंबित पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत किया जायेगा।

ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 2,53,556/- इकाई के खाते में लंबित पडे रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3:- ` 12.98 लाख के असमायोजित अग्रिम।

क्षेत्र पंचायत कीर्तिनगर द्वारा विभिन्न मदों (13वां वित्त, राज्य वित्त, क्षेत्र पंचायत निधि, बी आर जी एफ़ आदि) से कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा 37 कार्यों हेतु विभिन्न ग्राम विकास अधिकारियों तथा लाभार्थियों को उक्त कार्यों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि ` 23.12 लाख के कार्य करवाने हेतु ` 12.98 लाख की धनराशि अग्रिम के रुप में स्वीकृत की गई थी जिसका भुगतान चैकों के माध्यम से किया गया था। अग्रिम वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक स्वीकृत किये गये थे परन्तु लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2016) तक 05 माह से 8 वर्ष तक की अवधि के पश्चात भी अग्रिमों का समायोजन विभाग द्वारा नहीं किया गया था जिसके कारण 37 कार्य अपूर्ण थे तथा ` 10.14 लाख की धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि कार्य प्रभारियों को नोटिस जारी किये गये है अधिकतर कार्य पूर्ण हो चुके है तथा माप कराकर समायोजन प्राप्त कर लिया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासकीय धनराशि का लम्बे समय तक उपयोग न करना तथा धनराशि को अवरुद्ध रखना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है तथा समय से कार्य पूर्ण कराने का दायित्व सक्षम अधिकारी का है। लम्बे समय तक समायोजन न कराना शासकीय आदेशों का भी उल्लंघन है।

अतः ` 12.98 लाख के असमायोजित अग्रिम का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- ` 7,330/- की धनराशि बैंक में जमा न करना।

क्षेत्र पंचायत कीर्तिनगर के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्राप्तियों एवं रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा सूचना के अधिकार एवं निविदा प्रपत्र बिक्री के रुप में ` 7,330/- की धनराशि प्राप्त की गयी थी परन्तु ग्यारह महीने से अधिक की अवधि के पश्चात भी उक्त धनराशि बैंक में प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं की गई थी जबकि किसी भी माध्यम से प्राप्त धनराशि को अविलम्ब राजकोष में जमा करने का प्रावधान है।

प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत हैः-

क्र.सं.	**वर्ष**	**प्राप्त धनराशि (` में)**
1.	2014-15	556
2.	2015-16	6,774
	कुल योग	**7,330**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि उक्त धनराशि तत्काल जमा करने की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की प्राप्ति को विभाग द्वारा राजकोष में जमा करना अनिवार्य है तथा धनराशि लम्बी अवधि तक अपने पास रखना वित्तीय नियमों एवं शासकीय आदेशों का उल्लघंन है।

अतः ` 7,330/- की प्राप्तियों को राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड़ विकास अधिकारी **कीर्तिनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0